ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- / 12-1(2) दिनांक 07/ 9 / 2022::

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
भारत सरकार, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय,
46/1, कैनालरोड़, जाखन, देहरादून–248001।

विषय :– जनपद–रूद्रप्रयाग के अंतर्गत रूद्रप्रयाग बाईपास द्वितीय चरण के निर्माण हेतु 900 मी0 भूमिगत सुरंग एवं 200 मीटर पुल के निर्माण हेतु 3.680 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सीमा सड़क संगठन से नये प्रयोक्ता अभिकरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/40054/2019

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–FP/UK/Road/40054/2019/183 दिनांक 06.05.2022।

महोदय

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–1184(1)/X-4-19/1(122)/2019 दिनांक 28.11.2019 के द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–Misc/II MoEF/CoP/04/2017/643 दिनांक 02.09.2021 के अनुपालनोपरान्त प्रकरण में जमा की जाने वाली धनराशियों का डिमांड नोट निम्न प्रकार प्रेषित है–

(1) **भारत सरकार के उक्त पत्र के बिन्दु संख्या–04** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तन भूमि के बदले 7.360 है0 लनगाड़ क0सं0–5 आरक्षित वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1459/3–5–2 दिनांक 01.07.2021 के अनुसार वसूली वर्ष 2022–23 हेतु देय दर 407992.00 के अनुसार रुपये 7.360 @ 4,07,992.00 = **30,02,821.00 (तीस लाख, दो हजार, आठ सौ इक्कीस)** मात्र की धनराशि जमा की जानी है।

(2) **उत्तराखण्ड शासन की शर्त संख्या–16** के अनुपालन में ऑनलाईन भरे गये प्रपत्र–भाग–2 के अनुसार प्रशनगत क्षेत्र इको क्लास–V के अन्तर्गत घनत्व 0.20 प्रतिशत है, तद्नुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0–सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार रुपये 3.680 ha. @ 657000.00/ha. = **24,17,760.00 (चौबीस लाख, सतरह हजार, सात सौ साठ)** मात्र की धनराशि जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित की गई धनराशियों को उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् धनराशि कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड शासन के उक्त पत्रों में **उल्लिखित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या कॉलमवार/बिन्दुवार मय संलग्नक ऑनलाईन/ऑफलाईन (01 मूल + 03 कलर प्रति) चार प्रतियों में** शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 832 /दिनांकित।

प्रतिलिपि 1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2:– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 3:– अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग को उनकी पत्र संख्या–1510/वन भूमि दिनांक 05.09.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

13/9/2022

13-9-2022

Scanned with CamScanner